भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1814

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों का चयन

1814. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों के चयन हेतु शर्तों में ढील देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार केरल सरकार के उस अनुरोध पर विचार करती है जिसमें अन्नपूर्णा योजना के लाभों के लिए लाभार्थियों को किसी भी सामाजिक कल्याण पेंशन योजना में शामिल न करने की शर्त से छूट देने का अनुरोध किया गया है और यदि हां, तो इस पर की-गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि केरल में योग्य गरीब और पात्र परिवार उपरोक्त शर्त के कारण अन्नपूर्णा योजना की लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है;

(ड.) यदि हां, तो सभी योग्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या केन्द्र सरकार ने यह विश्लेषण किया है कि सामाजिक कल्याण पेंशन अल्प है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): अन्नपूर्णा योजना सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा पात्रता मानदंड, कवरेज और सहायता दर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए स्वीकृत हैं। वर्तमान में, एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत मानदंडों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

...2/-

(ग) से (ङ): अन्नपूर्णा योजना, जो एनएसएपी की एक मांग-आधारित उप-योजना है, जिसका उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो पात्र होते हुए भी एनएसएपी के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत कवर नहीं हो पाए हैं। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थी को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क प्रदान किया जाता है। एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के साथ, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उठान में वर्ष 2016-17 से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है और वित्त वर्ष 2021-22 से केरल सहित अन्य राज्यों से कोई मांग नहीं आई है। इसके अलावा, अधिकांश राज्य इसी तरह की वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं भी लागू करते हैं, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य हेतु अधिकतम सीमा के अलावा भी पात्र वृद्धजनों को कवर कर सकती हैं।

(च): विभिन्न सिफारिशों और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के लिए एनएसएपी को जारी रखने के दौरान ही एनएसएपी में सुधार के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता मानदंड, सहायता दर और राज्यों के साथ साझाकरण व्यवस्था में संशोधन शामिल था। तथापि, उपलब्ध वित्तीय अंतर पर विचार करते हुए, सरकार ने एनएसएपी स्कीमों को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बराबर की टॉप-अप धनराशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी योजनाओं की पेंशन योजनाओं के तहत प्रति माह प्रति लाभार्थी 50 रुपये से 5700 रुपये तक की टॉप-अप धनराशि प्रदान कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों में एनएसएपी लाभार्थियों को औसतन 1100 रुपये प्रति माह की संतोषजनक मासिक पेंशन मिल रही है।

*****